सं0सं0 9/आ0–4–11/2010

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विभागीय संकल्प सं0 138(18) दिनांक 28.1.97 एवं संशोधित संकल्प सं0 597(18) दिनांक 05.06.98, 555(9) दिनांक 17.06.2011 एवं 681(9) दिनांक 19.06.2013 द्वारा डा0 मनोज कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल जमुई के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा डा0 मनोज कुमार सिंह के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों को प्रमाणित पाया गया :–

i. आरोपी पदाधिकारी जमुई में गोदावरी नर्सिंग होम नाम से क्लीनिक खोले हुए हैं, जिसमें बिना लाइसेंस की दवा की दुकान चलाते है। उक्त दवा की दुकान में सरकारी अस्पताल की दवा, फिजिशियन सैम्पल तथा घटिया किस्म के रक्त बेचे जाते हैं

ii. डा0 सिंह का स्थानांतरण आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने मुख्यालय से लगातार 13 वर्षो से अधिक समय तक आदेश की अवहेलना कर अनुपस्थित रहे, जो बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के अंतर्गत सेवा से बर्खास्तगी का मामला बनता है।

विभागीय पत्रांक 1237(9) दिनांक 20.09.13 द्वारा डा0 सिंह से द्वितीय कारणपृच्छा की गई, उनके द्वारा समर्पित प्रत्युतर की सम्यक समीक्षोपरांत डा0 सिंह के विरूद्ध उपर्युक्त आरोपों के प्रमाणित पाते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया, जिस पर सक्षम प्राधिकार एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर डा0 मनोज कुमार सिंह तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, जमुई (सदर अस्पताल, बेगूसराय के लिए अधिसूचित सम्प्रति निलंबनाधीन) को सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

डा0 सिंह को उनकी निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेशः– संकल्प की प्रति डा0 मनोज कुमार सिंह एवं अन्य सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

ह0/–

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव,

स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांकः 167 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 27/02/2015

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/ सिविल सर्जन, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 मनोज कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल जमुई संप्रति निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E/Sankalp folder 2013

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएें बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को उनके पत्रांक 1465 दिनांक 17.09.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

E/Sankalp folder 2013